बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन शाखा)
–:अधिसूचना :–

संख्या......1209/रा0...... भू–अर्जन कटिहार, दिनांक- 07-05-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 थाना प्राणपुर जिला कटिहार में सार्वजनिक परियोजनार्थ मौजा सिरन्डा एवं प्राणपुर के अन्तर्गत 44.330 कि०मी० से 45.00 कि०मी० तक राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पुर्वोक्त ग्राम प्राणपुर के भीतर एक भू खण्ड अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 1.64 एकड़ (एक एकड़ चौसठ डिसमल) के बराबर होता है। मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का खेसरा नं० 6,7/736,7,9,10 एवं 442 का अंश जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 खण्ड "क"

उत्तर :– मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 एवं मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का संयुक्त सीमा रेखा।
पूरब :– पक्की सड़क एवं प्राणपुर थाना नं० 268 का सर्वे खेसरा नं० 6
दक्षिण :– मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का सर्वे खेसरा नं० 6
पश्चिम :– मौजा प्राणपुर के अन्तर्गत पक्की सड़क।

मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 खण्ड "ख"

उत्तर :– मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 एवं मौजा सिरन्डा थाना नं० 180 का संयुक्त सीमा रेखा।
पूरब :– पक्की सड़क एवं मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का सर्वे खेसरा नं० 439 एवं 442
दक्षिण :– मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का सर्वे खेसरा नं० 442 एवं सड़क।
पश्चिम :– मौजा प्राणपुर थाना नं० 268 का सर्वे खेसरा नं० 10,9,7, एवं 7/736

यह अधिसूचना बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा (यथा संशोधित)अधिनियम 1–1884 एव 1–1984 की धारा –4 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार एवं अंचल पदाधिकारी प्राणपुर और उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे उनके कर्मचारी भूमि में प्रवेश कर भूमि का सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) मे यथा उपबंधित या विनिदिृष्ट अपने कार्यो के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा इसकी तुरन्त अर्जन आवश्यक है, इसलिए उस अधिनियम की धारा 17 के उप धारा (4) के अधिन आदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि पर लागू नही होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कटिहार	अपर समाहर्त्ता कटिहार	समाहर्त्ता कटिहार	सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक...1209/रा0... दिनांक :– 07-05-13

प्रतिलिपि :– तीन अतिरिक्त प्रतियां सी० डी० के साथ, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी कटिहार को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी उप समाहर्त्ता जिला गजट कटिहार को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की पाँच प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

6/5/13

सरकार के अवर सचिव